फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज.)

ककुआ भील	बनाम	जिला कलेक्टर, उदयपुर व अन्य

किस्म मुकदमा निगरानी/अपील/मुकदमा नं. 70/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
16/03/2026	अधिवक्ताओं की आज शोक सभा होने से यह प्रकरण वास्ते सुनवाई / अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 11/05/2026 को पुर्वादेशानुसार पेश हो। SVA		
11/05/26	वकील अपीलांट अनुपस्थित। राजकीय अभिभाषक उपस्थित। न्यायालय में अवकाश दिया जाकर पत्रावली दिनांक 19/05/2026 को पुर्वादेशानुसार पेश हो।		
19/05/26	वकील अपीलांट अनुपस्थित। राजकीय अभिभाषक उपस्थित। न्यायालय में अवकाश दिया जाकर पत्रावली दिनांक 26/05/26 को पुर्वादेशानुसार पेश हो।		
26/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील अपीलान्ट तथा अपीलार्थी अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया गया। अपील जिला कलक्टर, उदयपुर के आदेश दिनांक 9/x/2024 तहसील गिर्वा के ग्राम कालीवास, पटवार हल्का बछार की बिलानाम आराजी नम्बर 1456 रकबा 0.5750 है. भूमि किस्म पहाड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालीवास के खेल मैदान हेतु विधिक प्रावधानानुसार निःशुल्क आवंटन के विरुद्ध स्वयं के कथित अनाधिकृत कब्जे के आधार पर अधिकार दर्शाते हुए अपीलान्ट श्री ककुआ पिता नाना भील द्वारा की गई है।		

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
	पैरोकार सरकार द्वारा बतलाया गया कि आलोच्य आवंटन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार गिर्वा से प्राप्त अनुशंषा व मौका रिपोर्ट के अनुसरण में किया जाना स्पष्ट है, जिसमें उपखण्ड अधिकारी की दिनांक 2/9/2024 की रिपोर्ट में भूमि का मौके पर अतिक्रमण रहित व प्रतिबन्धित श्रेणी में नहीं होने तथा किसी न्यायालय में स्थगन आदेश नहीं होना दर्शाते हुए मौके पर आवागमन हेतु रास्ता भी बतलाया है। पुनः दिनांक 12/9/2024 के पत्र में भूमि के मौके पर पहाड़ नहीं होकर उबड़-खाबड़ समतल भूमि होकर खेल मैदान हेतु उपयुक्त दर्शाई है। अतः अपील निरस्तनीय है। उपरोक्त पृष्ठभूमि में यह भी उल्लेखनीय है कि वकील अपीलांट गत पेशियों से अनुपस्थित चल रहे हैं; अतः प्रकरण अपीलान्ट द्वारा पैरवी के अभाव में गुणावगुण पर निस्तारित किया जाता है। जिला कलक्टर, उदयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 9/X/2024 में वैधानिक रूप से राजकीय शिक्षण संस्थान को खेल मैदान प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि की प्रक्रिया में हम कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। अतएव अपील पोषणीय नहीं होने से निरस्त की जाती है। निर्णय आज दिनांक 26/05/2026 को स्टेट इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] 26/05/2026 संभागीय आयुक्त उदयपुर (राज.)		